पंचदश बिहार विधान सभा

षोडश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-15.04.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री अशोक कुमार सिंह, स०वि०स० श्री अभिराम शर्मा, स०वि०स० श्री रतनेश सादा, स०वि०स०	"गया जिला अन्तर्गत गुरूआ प्रखण्ड के ग्राम-चन्दोखरा में प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है । प्राथमिक विद्यालय, चन्दोखरा में भवन निर्माण हेतु शिवनाथ प्रसाद के द्वारा 5 डी० जमीन बिहार सरकार के नाम से दिया गया है जो राज्यपाल के नाम पर निर्बाधित है । यह जमीन विद्यालय के पन्द्रह डिसमिल माली गैरमजरूआ जमीन के बगल में अवस्थित है जिस पर विद्यालय भवन के निर्माण हेतु राजस्व कर्मचारी द्वारा दिनांक-10.08.2008 एवं अंचलाधिकारी, गुरूआ द्वारा दिनांक-18.09.2008 को अनुशंसा की गयी थी लेकिन उक्त जमीन पर विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कराया जा रहा है, बल्कि साजिश के तहत गाँव से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर स्थित आम गैरमजरूआ जमीन पर निर्माण कराया जा रहा है । इसकी सूचना अंचलाधिकारी, गुरूआ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, गुरूआ एवं जिलाधिकारी, गया को देने के बावजूद भवन निर्माण कार्य जारी है । अतः चन्दोखरा गाँव में प्राथमिक विद्यालय भवन बनवाने एवं दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	शिक्षा

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री अरूण शंकर प्रसाद, स०वि०स० श्री परमानन्द ऋषिदेव, स०वि०स० श्री अमन कुमार, स०वि०स० श्रीमती उषा विद्यार्थी, स०वि०स०	"मधुबनी जिलान्तर्गत बासोपट्टी प्रखण्ड के भैयापट्टी गाँव के वछराजा नदी में 2 करोड़ 96 लाख की लागत से वीयर सह स्लुईस गेट का निर्माण कार्य किया गया है । निर्माण के पूर्व संवेदक द्वारा मिट्टी कटाव कर नदी का बहाव दूसरी तरफ किया गया । मिट्टी पूर्णतया बह गया है । वीयर सह स्लुईस गेट के दोनों तरफ एप्रोच भी नहीं बनाया गया है, जिस कारण योजना अधूरी पड़ी है । विभागीय पदाधिकारी की लापरवाही के कारण इतनी बड़ी राशि व्यय के बावजूद भी योजना का लाभ किसानों को नहीं मिलने से किसान परेशान हैं । अतः नदी के बहाव को स्लुईस गेट के अन्दर लाने, एप्रोच निर्माण कराने तथा दोषी विभागीय पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने हेतु हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।"	जल संसाधन

हरेराम मुखिया
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/15- 754 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मंत्रिगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप्त सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना / संसदीय कार्य विभाग / शिक्षा विभाग तथा जल संसाधन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

13/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-21/15- 754 / वि०स०, पटना, दिनांक- 13 अप्रील, 2015 ई० ।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप्त सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

13/4/15
(भूषण कुमार झा)
उप सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।